बनाम

मुकदमा ____________ नं. 361 सन् 2017

तारीख मय मकाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा एक तरफा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के खातेदारी व अधिकार की आराजी ग्राम कुम्हारिया पटवार हल्का मोखी तहसील व जिला भीलवाड़ा. स्थित ग्राम आराजी नं. 139, 139/1, 148, 152, 153, 154 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा के दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत नाजरत कोलेम्प जमाबंदी की नकल सम्वत 2069 की 2072 की होती है. जबकि विपक्षी गण सं० 1 के नाम खातेदारी अधिकार की आराजी नं० 1441, 1610 कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा ही दर्ज रेकार्ड है. तथा विपक्षी सं० 2 से 4 के नाम खातेदारी व अधिकार की आराजी नं. 116, 117, 136, 137, 138 कुल किता 5 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल सम्वत 2069 से 2072 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी द्वारा खातेदारी आराजियात में आने-जाने, बैल, ऊंट इत्यादि जाने हेतु आराजी नं० 1604 से प्रारंभ होकर ग्राम मोली [illegible] की चारागाह भूमि आराजी नम्बर 1606, 1605 में को होते हुए विपक्षी क्र०1 की भूमि आराजी नं० 1610 से खड़ी होकर जो कि ग्राम मोली की सरहद में है को होते हुए ग्राम कुम्हारिया की सीमा में प्रवेश कर ग्राम कुम्हारिया में स्थित विपक्षीगण क्र० 2, 3 व 4 की आराजी नं०137 की खड़ी मेड़ के सहारे खातेदार आराजी नं०138 के कोने को होते हुए प्रार्थी के ऊपर की आराजी नं०1391 में प्रवेश करते है। जो कि 20 फीट रास्ता है। जिसकी ताईद प्रस्तुत नजरी नक्शा से होती है। T.D.R. भीलवाड़ा ने भी कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का स्वयं खाते व कृषिकार्य की आराजी में जाने हेतु कुआ व करना तथा निष्कासन मार्ग के रूप में प्रस्तावित मार्ग का वैकल्पिक आराजी नं०1610 में भी। विकल्प तथा विपक्षी क्र० 2, 3 व 4 के खातेदारी आराजी नं० 138 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा में से 0.06-10 भूमि [illegible] का किया जाना है जिसकी ताईद प्रस्तुत मौका रिपोर्ट नजरी नक्शे से होती है। विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. तथा न किसी प्रकार के दस्तावेज ही प्रस्तुत किये। जिससे मौखिक सहमति देना जाहिर होता है। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

ीख ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी
अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में सफल
रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाना उचित समझती हूं, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251-A
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत
स्वीकार किया जाकर ग्राम कुम्हारिया पटवार
हलका भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में
स्थित हाल आराजी नं. 139, 139/1, 148,
152, 153, 154 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा
8 बिस्वा भूमि में आने-जाने हेतु आराजी
नं. 1610 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में से 0.01
बिस्वा ग्राम भोली की पूर्वी मेड़ के 2 गट्ठा.
रास्ता तथा ग्राम कुम्हारिया के आराजी नं.
138 में रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा में से पश्चिमी
मेड़ के 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता प्रार्थी
0.06-10 बिस्वा दिये जाने का आदेश दिया
जाता है। उसी अनुसार प्रार्थी रास्ते का
उपयोग/उपभोग अपनी आराजी में आने-जाने
हेतु करे। विपक्षी गण क्र. 1 के पक्के खातेदारी
आराजी में से 1 बिस्वा तथा विपक्षी क्र. 2 के
4 के खाते में से 0.06-10 बिस्वा भूमि की गणना
बिस्वा में कमी कर आने वाली भूमि विपक्षीगण
के खाते में से कम कर प्रार्थी के नाम राजस्व
रेकार्ड में अंकन किया जावे। तथा उसी रकबे
राजस्व नक्शे में भी तरमीम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रास्ते में काम आने वाली भूमि का 20 फीट चौड़ा रास्ता के अंकन याने 20 फीट चौड़ा रास्ता के खातेदार भूमि का आवंटन करें। व आने वाली भूमि का D.L.C. दर से उक्त राशि प्रार्थी से प्राप्त करें। प्राप्त राशि प्रार्थी को व 2 से 4 को भुगतान करें। भुगतान होने पर विपक्षीगण के खाते में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज करें। नक्शे में रास्ता को दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को निर्णय की प्रति भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली बाद अमल दरामद की जाकर दफ्तर दाखिल हो।
	उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner